

राजस्थान, सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(8)नवि/2020 पार्ट-13397

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

—:आदेश:—

विकास प्रोत्साहन एवं नियन्त्रण उपविधियां (DPCR) में विवाह स्थल (Marriage Garden/ Party Lawn/Banquet Hall) तथा छात्रावास (Hostel) को विभिन्न भू-उपयोगों में अनुमत किये जाने के संबंध में निम्नानुसार संशोधन/नवीन प्रावधान जोड़े जाते हैं:—

1. विवाह स्थल (Marriage Garden/ Party Lawn/Banquet Hall)

क्र.स	भू-उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम आवश्यक मार्गाधिकार		भूमि/भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल एवं अन्य तकनीकी मानदण्ड
		बड़े शहरों में	मध्यम एवं लघु शहरों में	
तालिका-1 आवासीय भू-उपयोग (Residential landuse) - Permitted				
2.2	Marriage garden / Banquet hall	30m.	24m.	- Minimum area 5000 Sq.m. - Other parameters as per prevailing Building Byelaws.
तालिका-3 औद्योगिक भू-उपयोग (Industrial landuse) - Permitted				
2.2	Marriage garden / Banquet hall	24m.	24m.	- Minimum area 5000 Sq.m. - Other parameters as per prevailing Building Byelaws.
तालिका-4 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ (Public & Semi- public Facility) - Permitted				
5	Marriage garden / Banquet hall	24m.	18m.	- Minimum area 5000 Sq.m. - Other parameters as per prevailing Building Byelaws.
तालिका-8 परिधि नियंत्रण क्षेत्र (Periphery Control Belt) - Permitted				
2.5	Marriage garden / Banquet hall	18m.	18m.	- Minimum area 8000 Sq.m. - Other parameters as per prevailing Building Byelaws.
तालिका-9 उच्च मार्ग विकास नियंत्रण क्षेत्र (Highway Development Control Zone) - Permitted				
2.5	Marriage garden / Banquet hall	24m.	18m.	- Minimum area 5000 Sq.m. - Other parameters as per prevailing Building Byelaws.

2. छात्रावास (Hostel)

क्र.स	भू-उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम आवश्यक मार्गाधिकार		भूमि/भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल एवं अन्य तकनीकी मानदण्ड
		बड़े शहरों में	मध्यम एवं लघु शहरों में	
तालिका-4 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ (Public & Semi- public Facility), सामुदायिक सुविधाएँ/अन्य सामुदायिक सुविधाएँ (Community facility/Other Community facility), शैक्षणिक एवं चिकित्सा (Education and Health facility) - Permitted				
4.2	Hostel	18m.	18m.	- Minimum area 500 Sq.m. - Other parameters as per prevailing Building Byelaws.
नोट:- सार्वजनिक उपयोग (Public Utility) भू-उपयोग में छात्रावास (Hostel) अनुमत नहीं होंगे।				

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
9. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त-----।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव— प्रथम